(8)

अपास्त कर प्रकरण पुनः उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा को रिमाण्ड किया गया था । इस बाद पूर्व आदेश से जो इन्तकाल दर्ज किया गया था जब जिस आदेश से इन्तकाल दर्ज हुआ वह आदेश ही निरस्त हो चुका है तो उस इन्तकाल का कोई महत्व नहीं है। अपीलाधीन इन्तकाल न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा निर्णय/डिक्री निरस्त करने के कारण पूर्व स्थिति बहाल का दर्ज किया गया है जो विधि अनुकूल है। इसलिए अपील अपीलांट निरस्त [illegible] जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रश्नगत अपीलाधीन इन्तकाल न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 14.6.13 व तहसीलदार पीलीबंगा के आदेश क्रमांक 718–719 दिनांक 17.6.13 की पालना में दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया है। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.6.13 से उपखण्डाधिकारी श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 27.7.12 निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया है। रिमाण्ड प्रकरण मे उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा द्वारा पूर्व की स्थिति बहाल करने बाबत पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार कोई आदेश तहसीलदार पीलीबंगा को नहीं दिया गया है। जबकि अपीलाधीन इन्तकाल तहसीलदार पीलीबंगा के आदेश से स्वीकृत किया गया है। जबकि तहसीलदार को बिना उपखण्डाधिकारी के आदेश के ऐसा आदेश देने की अधिकारिता नहीं है।

अतः अपील अपीलाट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इन्तकाल सं. 275 दिनांक 19.7.2013 चक 17 एमओडी निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड सहित वापिस लौटायी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.4.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ शर्मा)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़